

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19506/2017/847-857 दिनांक : 07-09-2018
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त

विषय:- एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत योगात्मक आकलन हेतु निर्धारित समयावधि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार शिक्षा में गुणवत्ता हेतु राजस्थान राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा निरन्तर शैक्षिक उन्नयन के प्रयास जारी है। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के मद्देनजर राजस्थान में एसआईक्यूई कार्यक्रम की क्रियान्विति आपके माध्यम से जिलों में की जा रही है। जिला अकादमिक समूह एवं जिला कोर कमेटी के सदस्यों के साथ मासिक बैठकों में नियमित रूप से एसआईक्यूई की प्रगति एवं समीक्षा भी आप द्वारा की जा रही है।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर में आयोजित एसएजी की बैठक के निर्णयानुसार सत्र 2018-19 से राज्य में एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत तीन योगात्मक आकलन दर्ज किए जाने हैं। शिक्षा विभाग, राजस्थान के शिविरा पंचांग 2018-19 में निर्धारित निम्नांकित तिथियों में तीनों योगात्मक आकलन दर्ज किए जाने हैं।

क्र. सं.	योगात्मक आकलन	निर्धारित समयावधि	पाठ्यक्रम विभाजन
1	प्रथम योगात्मक आकलन	सितम्बर माह का अंतिम सप्ताह दिनांक 24.09.18 से 29.09.18	लगभग 45 प्रतिशत
2	द्वितीय योगात्मक आकलन	जनवरी माह का अंतिम सप्ताह दिनांक 28.01.19 से 31.01.19	लगभग 40 प्रतिशत
3	तृतीय योगात्मक आकलन	अप्रैल माह में आयोजित कक्षा 5 हेतु प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन से पूर्व	शेष 15 प्रतिशत + सम्पूर्ण पाठ्यक्रम

अतः उक्तानुसार अपने जिले में योगात्मक आकलन का कार्य निर्धारित समयावधि एवं पाठ्यक्रमानुसार समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की एसआईक्यूई संचालित कक्षाओं हेतु क्रियान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करें।


उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक : शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19506/2017/847-857 दिनांक : 07-09-2018


उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राज., बीकानेर
5. निजी सचिव, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर
6. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त को भेजकर लेख है कि अपने मण्डल में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवायें।
7. प्राचार्य डाइट समस्त को पालनार्थ
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एसएसए/रमसा, समस्त
9. समस्त बीईईओ/पीईईओ को पालनार्थ
11. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. को पालनार्थ
12. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट एवं शाला दर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर


उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर